

**न्यायालय:- साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी**  
**जिला-अशोकनगर (म.प्र.)**

**दांडिक प्रकरण कं.-98/12**  
**संस्थापित दिनांक-02.04.2012**  
Filling no- 235103003242012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर। .....अभियोजन
<b>विरुद्ध</b>
1- रामगोपाल पुत्र रामानन्द साहू उम्र 35 साल निवासी- ग्राम सिंहपुर चाल्दा तहसील चंदेरी जिला-अशोकनगर म0प्र0 .....आरोपी

**-: निर्णय :-**

**(आज दिनांक 22.05.2017 को घोषित)**

**01-** आरोपी के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 33(सी) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का अभियोग है कि दिनांक 09.12.2011 को वन परिक्षेत्र वीट नावनी के कक्ष क्रमांक पी0एफ0 187 में संरक्षित वनभूमि की बिना किसी विधिक प्राधिकार के जुताई की।

**02-** अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि दिनांक 09.12.11 को परिक्षेत्र सहायक डुगासरा एवं बीट गार्ड वानकी एवं अन्य स्टॉफ जंगल गस्त करते समय वीट नावनी के कक्ष क्रमांक पी.एफ 187 में पहुँचे तो देखा कि प्लांटेशन में रामगोपाल पुत्र रामानन्द साहू प्लांटेशन के अन्दर हल चलाता हुआ दिखाई दिया। मौके पर पहुँचकर देखा कि करीब 2 हैक्टेयर भूमि की जुताई एवं चना फेंक दिया था। मौके पर हल, जुआ गिरफ्तार किये एवं नक्शा जप्ती पंचनामा तैयार किया। मौके का पंचनामा तैयार किया तथा अपराध की पी.ओ.आर लेखबद्ध की गई एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

**03-** अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झुठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

**04— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :—**

1.	क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 09.12.2011 को वन परिक्षेत्र वीट नावनी के कक्ष क्रमांक पी0एफ0 187 में आपने संरक्षित वनभूमि की बिना किसी विधिक प्राधिकार के जुताई की ?
----	--

**: : सकारण निष्कर्ष : :**

**05—** शिवराज सिंह अ.सा. 01 ने अपने कथन में बताया है कि वह दिनांक 09.12.2011 को वन परिक्षेत्र सहायक डुगासरा के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को नाओनी के कक्ष क्र0 पीएफ 187 में पहुँचकर देखा कि प्लांटेशन में रामगोपाल पुत्र रामानन्द साहू निवासी सिंहपुर चालदा प्लांटेशन के अन्दर हल चलाता हुआ दिखाई दिया। जब हम वहाँ पहुँचे तो आरोपी बैल हल से निकालकर वहाँ से भाग गया था जिसका पंचनामा आरक्षक हनुमंत सिंह ने बनाया था जो प्र.पी.1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा घटना स्थल का नक्शामौका प्र.पी.2 एवं साक्षी देवेन्द्र, नातीराजा, रामगोपाल के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किये जो क्रमशः प्र.पी. 2, 3, 4, 5 हैं जिनके ए से ए भागो पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 6 एवं वन अपराध प्रतिवेदन प्र.पी. 7 उसके द्वारा तैयार किया गया था जिसके ए से ए भागो पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पैरा 6 में उक्त साक्षी ने बताया कि उसके सामने विवादग्रस्त भूमि की नप्ती नहीं हुई थी न ही उसने प्रकरण में वन विभाग की टोपो शीट नक्शा लगाया हैं तथा साक्षी का कहना है कि उसने प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिसमें उक्त भूमि वन विभाग की भूमि हो। शिवराज सिंह अ0सा01 ने उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 में बताया कि उसे इस बात की जानकारी बाद में हुई थी कि उक्त भूमि आरोपी की है। आरोपी ने राजस्व विभाग से सीमांकन कराया था तथा आरोपी शुरू से ही कह रहा था कि उक्त भूमि उसकी है।

**06—** देवेन्द्र सिंह अ0सा02 ने बताया कि वह ग्राम नाओनी का हलनपुर के बीच वन भूमि का चौकीदार था। वह बुंदेला, शिवराज सिंह के साथ गस्त पर रामगोपाल के खेत पर गए थे जहाँ देखा कि आरोपी हल बैल से जमीन जोत रहा था। आरोपी ने करीब 4—5 बीघा जमीन जोत ली थी। उक्त साक्षी ने इस बात से स्पष्टतः इंकार किया कि पंचनामा प्र.पी. 1 के बी से बी भाग पर, जप्तीनामा फार्म प्र.पी. 8 के ए से ए भाग, नक्शा प्र.पी. 2 के बी से बी भाग एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 6 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में बताया कि उसके समक्ष विवादग्रस्त भूमि की नप्ती हुई थी जिसमें विवादग्रस्त भूमि आरोपी रामगोपाल की मां सावित्री बाई के नाम निकली थी।

**07—** नातीराजा अ0सा03 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि वह आरोपी रामगोपाल को जानता है तथा घटना दिनांक को वह सब रैंज चंदेरी में चौकीदार के पद पर पदस्थ था। उक्त साक्षी ने बताया कि उसे डिप्टी रैंजर शिवराज सिंह यादव ने चंदेरी रैंज के ऑफिस में बुलाकर पंचनामा प्र.पी. 1 के सी से सी भाग पर हस्ताक्षर कराए थे। जप्तीनामा फार्म प्र.पी. 8 के बी से बी, नजरिए नक्शा प्र.पी. 2 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दस्तावेजो पर हस्ताक्षर डिप्टी रैंजर साहब के कहने पर करना व्यक्त किया। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने अभियोजन के समस्त कहानी से इंकार किया।

**08—** हनुमंत सिंह अ0सा04 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि वह आरोपी रामगोपाल को जानता हैं। दिनांक 09.12.11 को वह बीट गार्ड नाओनी के पद पर पदस्थ था और डिप्टी रैंजर शिवराज सिंह, नातीराजा, देवेन्द्र के साथ जंगल में कक्ष क्र0 188 में गस्त पर पहुँचे तो देखा कि रामगोपाल कक्ष क्र0 188 में हल चला रहा था, जिससे हमारे द्वारा रामगोपाल से 1 हल और एक जुआ जप्त किया था। रामगोपाल वहां से भाग गया था। उक्त साक्षी का कहना है कि उसके द्वारा वन अपराध की पी.ओ.आर. प्र.पी. 9 तैयार की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में बताया कि विवादग्रस्त भूमि आरोपी की है जिसपर वह खेती कर रहा था। साक्षी ने स्वतः कहा कि जब विवादग्रस्त भूमि की नप्ती हुई तब यह ज्ञात हुआ था कि उक्त भूमि रामगोपाल की मां की है जिसे हम रैंज की भूमि समझते थे।

**09—** इस प्रकार प्रकरण में घटना के दो चक्षुदर्शी साक्षी देवेन्द्र सिंह अ0सा02, नातीराजा अ00सा03 पक्षद्रोही हो गए हैं। उक्त साक्षीगण द्वारा अभियोजन की कहानी का कोई समर्थन नहीं किया गया है। शिवराज सिंह अ0सा01 देवेन्द्र अ0सा02 ने उनके मुख्य परीक्षण में बताया कि आरोपी रामगोपाल द्वारा वन विभाग की भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा था। यदि यह मान भी लिया जाए कि आरोपी उक्त भूमि पर कृषि कार्य कर रहा था तो भी अभियोजन को यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि उक्त भूमि वन विभाग की भूमि है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा ऐसा कोई राजस्व एवं वन विभाग का दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि उक्त भूमि वन विभाग की भूमि है।

**10—** इसके विपरीत शिवराज सिंह अ0सा01 तत्कालीन वन परिक्षेत्र सहायक, देवेन्द्र सिंह अ0सा02, हनुमंत सिंह बीट गार्ड अ0सा04 ने उनके प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि घटना स्थल वन विभाग की भूमि न होकर आरोपी रामगोपाल की भूमि थी। यद्यपि उक्त साक्षीगण को उक्त भूमि की आरोपी रामगोपाल की होने के संबंध में जानकारी आरोपी द्वारा कराए गये सीमांकन से प्राप्त होना व्यक्त किया है। इस प्रकार प्रकरण में आई हुई साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा वन परिक्षेत्र बीट नाओली के कक्ष क्र0 पीएफ 187 में बिना

**// 4 // दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-98/12**

**Filling no- 235103003242012**

किसी प्राधिकार के जुताई थी। उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी रामगोपाल साहू पुत्र रामानन्द साहू निवासी ग्राम सिंहपुर चालदा को भारतीय वन अधिनियम की धारा 33"सी" के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

**11-** आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

**12-** प्रकरण में जप्तशुदा एक हल और एक जुआ उसके मूल स्वामी को अपील अवधि पश्चात वापस किये जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलिय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

**13-** आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर  
हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0